न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 53/2024 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2024/63)

1. बलवन्त सिंह
2. सोहन सिह
3. भगवान कौर

पिसरान दयालो पत्नी जग्गासिह जाति बावरी निवासीगण 6 जी.डी. तहसील घड़साना जिला अनूपगढ।

4. छोटूराम
5. मुशीराम

पिसरान रज्जो पत्नी मक्खनसिह जाति बावरी निवासीगण 7 जी.डी. तहसील घडसाना जिला अनूपगढ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. हरकौर पत्नी साधुसिंह
2. नानकी
3. निहालो उर्फ प्रकाश कौर
4. कश्मीरो
5. जीतो उर्फ मुखतार कौर
6. कन्तो उर्फ कुलवन्त कोर
7. मच्छादेवी

पिसरान जग्गासिह

अकवाम बावरी निवासीगण 17 एम. डी. –ए तहसील घडसाना जिला अनूपगढ।

8. गुरमेल सिह पुत्र सुगना पत्नी राजुराम जरिए कुदरती वली राजूराम जाति बावरी निवासी 40 एन.पी.तहसील रायसिंह नगर जिला अनूपगढ।
9. सरपंच ग्राम पंचायत 17 एम.डी. –ए. पंचायत समिति घड़साना जिला अनूपगढ।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार घडसाना जिला अनूपगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. ओम प्रकाश चाण्डक – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. फुसाराम जांखड – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1 ता 7
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 01.07.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी घड़साना प्रकरण सं. 05/2014 के निर्णय दिनांक 19.11.2014 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट हरकौर वगैरह ने ग्राम पंचायत 17 एमडी –ए द्वारा स्वीकृत इन्तकाल सं. 209 दिनांक 05.06.2014 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी घड़साना मे अपील पेश कर उक्त इन्तकाल को निरस्त कर वसीयत के आधार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पर अपने नाम इन्तकाल स्वीकृत करने का निवेदन किया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी घड़साना, द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.11.2014 द्वारा रेस्पोडेन्ट की अपील स्वीकार इन्तकाल सं. 209 दिनांक 05.06.2014 को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट बलवन्त सिह वगैरह द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19.11.2014 को निरस्त फरमाते हुए इन्तकाल सं. 209 17 एम.डी.–ए को बहाल रखने का अनुतोष चाहा गया है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 के निमित सम्मन जारी किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि प्रथम अदालत मातहत, ग्राम पंचायत द्वारा पूर्णतः विधिक रूप से व संपूर्ण जांच विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए मृतक साधुसिह के तमाम वारीसान के नाम इन्तकाल सं. 209 स्वीकृत किया गया है जो हर प्रकार से सही, विधिक एवं बहाल रखे जाने योग्य है। प्रथम अदालत इस नतीजे पर पहुची कि प्रथम अदालत मातहत के समक्ष मामला विवादित इन्तकाल का था जिसका श्रवणाधिकार/क्षेत्राधिकार प्रथम अदालत मातहत ग्राम पंचायंत को नही होने का आधार बनाते हुए अपील मन्जुर की गई है। जबकि विधि अनुसार अगर प्रथम अपील अदालत मातहत (भू–अभिलेख अधिकारी) ऐसे नतीजे पर पहुचता है तो उनके समक्ष विचाराधीन अपील निर्णित करने/सुनवाई करने का भी उन्हे कोई क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार प्रथम अपील अदालत मातहत/ (भू–अभिलेख अधिकारी) को नही रहता है ऐसी सूरत मे स्वय के निर्णयानुसार ही क्षेत्राधिकार से बाहर जा कर आदेश जैर अपील प्रदत करने प्रथम अपील अदालत मे अहम कानूनी भूल की है। विधि द्वारा सुस्थापित सिद्वान्त है कि वसीयत/गोदनामा जेसे जटिल प्रश्नो का निस्तारण इन्तकाल की संक्षिप्त कार्यवाही मे नही किया जा सकता, इसके लिए सिविल न्यायालय ही संक्षम है। इस कारण स्वेच्छाचारित रूप से प्रदत्त निर्णय/आदेश प्रथम अपील अदातल

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मातहत निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही उपखण्ड अधिकारी के संमक्ष अपील मियाद बाहर पेश की गई थी, धारा –5 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण ही नही किया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश 19.11.2014 को निरस्त फरमाते हुए आदेश प्रथम अदालत मातहत इन्तकाल सं. 209 ग्राम 17 एम.डी. ए. बहाल फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 7 विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर इन्तकाल स्वीकृत करने का आदेश देने का निवेदन किया था जो आज भी पेंडिग है। इसमें अपीलान्ट को क्या आपत्ति है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। अतः अपीलान्ट्स अपील खारीज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.06.2014 को विरासतन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। नामान्तरकरण प्रविष्टि अनुसार उक्त विरासतन नामान्तरकरण खातेदार साधुसिह पुत्र हरिसिंह के दिनांक 06.04.2014 को फौत होने पर खोला गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार साधुसिह पुत्र श्री हरिसिंह द्वारा दिनांक 18.05.2009 को पत्नी हरकौर व छः पुत्रियो के पक्ष में वसीयत निष्पादित की जानी परिलक्षित हुई है। चूंकि भूमि से संबधित वसीयत निष्पादित है अतः ऐसे विरासतन नामान्तरकरणो को खोले जाने से पूर्व तहसीलदार द्वारा वसीयत की विधिवत सुनवाई की जाकर निस्तारण किया जाना चाहिए था। ऐसे विवादित नामान्तरकरण संबंधी प्रकरणो की सुनवाई व निस्तारण का क्षेत्राधिकार संबधित तहसीलदार को प्राप्त है। उक्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.11.2014 में हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है। लिहाजा अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.11.2014 को यथावत रखा जाता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 01.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर